कार्यवाही विवरण

दिनांक 16.3.2015 को माननीय मंत्री महोदय,ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

1. ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में 28.2.2015 तक 49.62 प्रतिशत प्रगति अर्जित की है। जिस पर मा0 मंत्री महोदय द्वारा असंतोष जताया गया। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि 31.3.2015 तक प्रगति 80 प्रतिशत अर्जित की जाए।

2. बजट घोषणा 2014–15, मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री निर्देशों के कुल 34 मामले लम्बित है, इनका शीघ्र निस्तारण किया जाए एवं लगातार चलने वाली प्रकृति के मामलों का प्रति माह समीक्षा की जाए। समीक्षा उपरान्त सभी लम्बित मामलों की सूचना तैयार कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाये।

3. बजट 2015–16 की घोषणाओं को लागू करने के लिए कार्ययोजना समयसारणी सहित 31 मार्च तक तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

4. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज में लगभग राशि 10 से 12 हजार करोड रूपये के विकास कार्यो पर व्यय किया जाता है तथा कियान्वयन का दायित्व राज्य मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक का है। कियान्वयन का दायित्व इतना विस्तृत होने के कारण कार्यो की मॉनिटरिंग का महत्व अत्याधिक है। अतः विभाग में मॉनिटरिंग हर स्तर पर प्रभावी बनाया जाए। वैबबेस मॉनिटरिंग सिस्टम सभी योजनाओं के लिए वर्तमान में लागू है इसे ओर प्रभावी बनाया जाए, सम्पत्तियों के निर्माण के दौरान पूर्ण होने पर उनका भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाऐ।

5. सभी योजना प्रभारी सुनिश्चित करें कि मा0 मंत्री महोदय के स्तर पर योजनाओं की समीक्षा का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाए।

6. योजनाओं के कियान्वयन में राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी बराबर की है। अतः जिन योजनाओं में प्रगति कम हो उनमें योजना प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करें।

7. महात्मा गांधी नरेगा योजना में 15 दिवस में भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ है। मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में सभी मजदूरों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. महात्मा गांधी नरेगा योजना में मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि सभी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में कार्यो की स्वीकृति 31 मार्च 2015 से पूर्व जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

9. मध्यप्रदेश में मनरेगा के साथ अन्य योजना का कर्न्वेजेन्स कार्य उल्लेखनीय है जिसमें छोटी–छोटी योजनाऐं बनाकर नरेगा योजना से डबटेल कर लागू किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ''कपिलधारा योजना'' के नाम से योजना लागू की जा रही है जिसमें अधिकांश पैसा मनरेगा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में भी इस प्रकार की योजनाऐं बनाकर लागू करवाई जावे।

10. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कर्न्वेजेन्स के लिए राज्य सरकार का स्पष्ट मैन्डेट है। कर्न्वेजेन्स के संबंध में जिस स्तर पर आवश्यकता हो वहां से आवश्यक स्वीकृतियॉ प्राप्त कर कर्न्वेजेन्स के माध्यम से मनरेगा योजना की राशि का अधिकतम उपयोग किया जाए।

11. महात्मा गांधी नरेगा योजना में लाईन विभागों की सहभागिता बढाने के लिए कम्पोजिट कान्ट्रेक्ट बनाये जाए तथा मा0 मंत्री महोदय एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के स्तर पर नियमित राज्य स्तरीय बैठक करायी जाए।

12. लाईन विभागों के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना के डबटेलिंग के कार्यो में समन्वय हेतु आयुक्त मनरेगा द्वारा संबंधित विभागों के मुख्य अभियन्ता के साथ नियमित बैठक की जाए।

13. पिपलान्त्री एवं चित्तौडगढ (पंचफल योजना) में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। यहां पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाए, जिससे अन्य जिलों को इन स्थानों पर हुए कार्यो को देखने का मौका मिले।

14. महात्मा गांधी नरेगा योजना में 261 शिकायतें मुख्यालय व 4044 शिकायतें जिला स्तर से प्राप्त हुई है उनका निस्तारण शीघ्र कराया जाए।

15. रूपये 50 करोड से मुख्यमंत्री विकास कोष बनाया गया है। इस राशि का उपयोग नरेगा योजना में श्रम सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक होने पर सामग्री मद में उपयोग किया जाना है। इस कोष का प्राथमिकता से सांसद व मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए किया जाए।

16. विशेष वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा बजट भाषण 2015–16 में की गयी है। जिसमें 21.00 करोड का प्रावधान किया गया है। इतनी कम राशि से सभी वर्गो को सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकती। अतः वर्ष 2015–16 में

चयनित श्रेणीयों मे से एक श्रेणी यथा एकल विधवा श्रेणी को लाभ पहूँचाकर पूरे राज्य में सेच्यूरेटे किया जाए।

17. जिलों के निरीक्षण के संबंध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

i. विधान सभा व अन्य कारणों से जिलो में किये जाने वाले निरीक्षण नियमित नहीं हो रहे है लेकिन एक अप्रेल से सभी जिला प्रभारी अधिकारी 2 बार प्रथम एवं तृतीय गुरूवार व शुक्रवार को क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे।

ii. निरीक्षण उपरान्त फीडबैक बैठक आगामी सोमवार को आयोजित की जाऐगी।

iii. निरीक्षण रिपोर्टों पर प्रभावी कार्यवाही हो इसके लिए निरीक्षण रिपोर्ट को 2 भागों में बांटा जायेगा प्रथम भाग जिसमें कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी है उसका कियान्वयन सीईओ जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। दूसरा जिस कार्यवाही की अपेक्षा मुख्यालय से है उसका अलग से संक्षिप्त कार्यवाही रिपोर्ट, अधिकतम एक या दो पेज की होगी, जो फीडबैक बैठक के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

iv. जिला प्रभारी अधिकारी किन्हीं कारणों से, क्षेत्र में निरीक्षण हेतु नहीं जायेगे वे अपने नियंत्रण अधिकारी से इसकी अनुमति लेकर परि0निदे0(मोएवंमू) को सूचित करेंगे।

v. जिला प्रभारी अनिवार्य रूप से टाईम्स सोफ्टवेयर पर निरीक्षण रिपोर्ट का इन्द्राज करेंगे।

vi. परि0निदे0(मोएवंमू) द्वारा जिला प्रभारी अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर उसका सारांश तैयार कर प्रत्येक माह प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत करेगें।

vii. विभागों में उच्च अधिकारियों को संभाग प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि उस संभाग के सभी जिलों का निरीक्षण करेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला प्रभारियों का मार्गदर्शन करेंगे। मा0 मंत्री महोदय की संभागीय बैठकों में सहयोग करेंगे।

शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 2 (3)ग्रावि/अनु.:8/2014 जयपुर, दिनांक 31 MAR 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआरएस
8. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
10. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन–2), पंचायती राज विभाग।
11. निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
13. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
14. परि. निदे. एवं उप सचिव,/एसएपी/नरेगा/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
15. परियोजना निदेशक, (LPs&SHGs) आजीविका।
16. परियोजना निदेशक, एम पावर।
17. अति. मुख्य अभियन्ता एवं परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव–सीएसएस,ग्रा.वि.विभाग।
18. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
19. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।
20. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
21. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
22. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।

परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव
(एम एण्ड ई)